न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/03 /13	01.01.2013	21.06.2018

उनवान

1. नसरू पुत्र सरदार जाति मेव
2. ईदू पुत्र सरदार जाति मेव निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 108 मिन रकबा 14 बिस्वा, जिसका सम्वत 2028 में खसरा नम्बर 135 रकबा 14 बिस्वा बना था और सम्वत 2058 में खसरा नम्बर 176 रकबा 0.18 हैक्ट0 कायम हुआ, वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी पर सम्वत 2003 से पहले वादीगण के पिता श्री सरदार पुत्र छुटटन काबिज रहकर काश्त करते थे और वो अपने जीवनकाल तक काबिज रहे तथा कागजातमाल में फूलबी बेवा रहमान का भी नाम शामिल था जो वादीगण की भूआ थी। किन्तु फूलबी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा फलबी नाऔलाद फौत हो गई तथा उसके पति का देहान्त उसके जीवनकाल में ही हो गया था। इसलिए स्व0 श्री सरदार एवं स्व0 फूलबी के वारिसान भी हम वादीगण ही है और विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अपने पिता स्व0 श्री सरदार के जीवनकाल से ही बदस्तूर मौके पर चला आ रहा है। तथा वादीगण ही विवादित आराजी पर काबिज है। वादीगण विवादित आराजी पर अपने जायज हकूक की बिना पर काबिज है तथा अरसे दराज से काबिज चले आ रहे है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी के कानूनन खातेदार काश्तकार है। किन्तु विवादित आराजी फूलवती बेवा रहमान के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

आ रही है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी का तन्हा स्वयं को बहिस्से बराबर से खातेदार घोषित कराने के कानूनन हकदार है।

अतः अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कागजातमाल में जो फूलबी बेवा रहमान का नाम दर्ज हो रहा है, उस इन्द्राज को वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2003 में फूलबी हिस्सेदार के नाम दर्ज थी जिसमें सरदारा पुत्र छुटटन मेव राहिन दर्ज होकर बकाश्त राहिन दर्ज है। बन्दोबस्त सम्वत 2028 में भी फूलबी बेवा रहमान दर्ज होकर सरदारा राहिन दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड में भी फूलबी बेवा रहमान दर्ज होकर सरदार के वारिसान नसरू, ईदू गैरखातेदार राहिन मुर्तहन दर्ज है। फूलबी बेवा रहमान की विरासत तय होने पर ही वादीगण को खातेदारी तय किया जाना उचित है। काश्त के आधार पर भी खातेदारी तय हो सकती है।

वादीगण ने दावे की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 व 2028, जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम ईन्दपुर सम्वत 2015, खसराटीप मौजा ग्राम ईन्दपुर सम्वत 2010, जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम ईन्दपुर सम्वत 2011 की प्रमाणित प्रतियां पेश की तथा मृत्यु प्रमाण पत्र फूलबी का पेश किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी पर सम्वत 2003 से पहले वादीगण के पिता श्री सरदार पुत्र छुटटन काबिज रहकर काश्त करते थे, वो अपने जीवनकाल तक काबिज रहे तथा कागजातमाल में फूलबी बेवा रहमान का भी नाम शामिल था जो वादीगण की भूआ थी। किन्तु फूलबी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा फूलबी नाऔलाद फौत हो गई तथा

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

उसके पति का देहान्त उसके जीवनकाल में ही हो गया था। इसलिए स्व0 श्री सरदार एवं स्व0 फूलबी के वारिसान भी वादीगण ही है और विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अपने पिता स्व0 श्री सरदार के जीवनकाल से ही बदस्तूर मौके पर चला आ रहा है। तथा वादीगण ही विवादित आराजी पर काबिज है। आज भी वादीगण का कब्जा है। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में बताया है कि विवादित आराजी संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2003 में फूलबी हिस्सेदार के नाम दर्ज थी जिसमें सरदारा पुत्र छुटटन मेव राहिन दर्ज होकर बकाश्त राहिन दर्ज है। बन्दोबस्त सम्वत 2028 में भी फूलबी बेवा रहमान दर्ज होकर सरदारा राहिन दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड में भी फूलबी बेवा रहमान दर्ज होकर सरदार के वारिसान नसरू, ईदू गैरखातेदार राहिन मुर्तहन दर्ज है। फूलबी बेवा रहमान की विरासत तय होने पर ही वादीगण को खातेदारी तय किया जाना उचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद सलंग्न दस्तावेजात व पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि 176 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व कागजातमाल में जो फूलबी बेवा रहमान का नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ईन्दपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
1/03 /13	01.01,2013	21.06.2018

उनवान

1. नसरू पुत्र सरदार जाति मेव
2. ईदू पुत्र सरदार जाति मेव निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादीगण का वाद सलंग्न दस्तावेजात व पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि 176 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व कागजातमाल में जो फूलबी बेवा रहमान का नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)